

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 367]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 17, 2014/आषाढ़ 26, 1936

No. 367]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 2014/ASHADHA 26, 1936

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 505(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण अकानूनी केंटीन कलिपय समूह 'ग' और समूह 'घ' भर्ती नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण में सहायक हलवाई—सह रसोइया, के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, अकानूनी कैंटीन, सहायक हलवाई—सह रसोइया, समूह ग' पद भर्ती नियम, 2014 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धित, आयु—सीमा, और अन्य अर्हताएं :--उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता : वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या

2911 GI/2014

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति :-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति :--इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु--सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय--समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

				30.	
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधं मर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक हलवाई—सह रसोइया।	1 (2014)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन बैड—1, 5200—20200रु + ग्रेड वेतन 1900रु	अचयन	25 वर्ष से अधिक नहीं । (कंन्द्रीय सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष और अनूसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1:— आयु—सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी।

सीघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	मर्ती की पद्धति : भर्ती सीघे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
7 (1) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या संगठन से खान—पान सेवा में प्रमाणपत्र या डिप्लोमा के साथ मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण। (2) रसोइए के रूप में एक वर्ष का अनुभव।	8 नहीं	9 सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	10 प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा, दोनों के न हो सकने पर, सीधी भर्ती द्वारा।

(3) अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का निर्धारण			
करने के लिए स्वच्छता आदि बनाए रखने सहित	5		
खाना पकाने के लिए एक			
ट्रेड कौशल परीक्षण संचालित किया जाएगा।			
टिप्पण:1 अनुभव संबंधी		i i	
अर्हता (अर्हताए) कर्मचारी		y =	
चयन आयोग के		1	
लिखेमान पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित			
जनजातियों के अभ्यर्थियों			E)
की दशा में तब शिथिल			
की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर			
आयोग की यह राय हो			
कि उनके लिए आरक्षित			
रिक्तियों को भरने के			
लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों			
के अभ्यर्थियों में पर्याप्त			
रूप से उपलब्ध होने की) (Q)		
संभावना नहीं है।			 100 AND 100

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्त / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्त / आमेलन किया जाएगा।

11

प्रोन्नति:- वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु और ग्रेड वेतन 1800 रु में ऐसा कैंटीन परिवर जिसने श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1:— स्वच्छता आदि बनाए रखने सहित खाना पकाने के संदर्भ में विभागीय प्रोन्नित समिति द्वारा एक ट्रेड परीक्षक संचालित किया जाएगा।

टिप्पण 2:— जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3:— प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाम केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी- (i) जो नियमित आधार पर सहश पद धारण कर रहे हैं; या

(ii) वेतन बैंड-1, 5200-20200रु और ग्रेड वेतन 1800रु में ऐसा कैंटीन परिचर जिसने तीन वर्ष सेवा की हो और हलवाई सह रसोइया के हेल्पर के पद में एक वर्ष का अनुभव रखता हो और स्तंभ 7 के अधीन सीधी मर्ती के लिए विनिहित अर्हता और अनुभव रखता हो। टिप्पण 1:— प्रोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2:— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3:— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु—सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4:— प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाम केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नित —सिमिति (प्रोन्नित और पुष्टि के स विचार के लिए) जिसमें निम्निलिखित होंगे:— (i) निदेशक, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता — अ (ii) विभागाध्यक्ष, भारतीय वनस्पित विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता — र (iii) विभागाध्यक्ष, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण,	
कोलकाता –	सदस्य

[फा. सं. 02/17/2012-सी.एस.जेड.] आर. दलवानी, सलाहकार (संरक्षण और सर्वेक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2014

- G.S.R. 505(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, Non-statutory Canteen, Group 'C' and Group 'D' Posts, Recruitment Rules, 2002, in so far as they relate to the post of Cook, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Halwai-cum-Cook in the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, namely:—
- Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, Non-statutory Canteen, Assistant Halwai-cum-Cook, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of said post, its
 classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the
 Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and
 other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualification.— No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Assistant Halwai cum– Cook.	1* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	5200-20,200 plus	
Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
6	7	8	9	10
up to 40 years in the case of general	(i) 10th class pass from a recognised Board with a certificate or diploma in catering from a recognised institute or organisation. i) One year experience as cook.	No	Two years for direct recruits	By promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment.

	(ii) To assess the suitability			
to the Scheduled	of the candidate, a			
Castes or the	Trade Skill Test for			
Scheduled Tribes in	cooking including			
accordance with the	maintenance of hygiene			
instructions or orders	etc., shall be conducted.			
issued by the Central	Note 1: The			
Government from	qualification regarding			
time to time).	experience is relaxable			
nerven annen man v	at the discretion of the			
Note: The crucial date	Staff Selection			
for determining the age	Commission, for			
limit shall be as fixed	reasons to be recorded			
by the Staff Selection	in writing, in case of			
Commission.	candidates belonging to	1	4	
	the Scheduled Castes or		1	
	the Scheduled Tribes, if			
	at any stage of			
	selection, the Staff			
	Selection Commission			
	is of the opinion that			
	sufficient number of			
	candidates from these			
	communities			
	possessing the requisite			
	experience are not			
1	likely to be available to			
	fill up the vacancies			
	reserved for them.		1	

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
Promotion: Canteen Attendant in pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1800 with three years' regular service in the grade. Note 1: A Trade Test shall be got conducted by the Departmental Promotion Committee with reference to the cooking including maintenance of hygiene etc. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:- 1. Director, Zoological Survey of India, Kolkata —Chairman; 2. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata —Member; 3. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata —Member;	Not applicable

completed such qualifying or eligibility service.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.

Deputation:

Officers of the Central Government,-

- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or
 - (ii) Canteen Attendant in pay band-1 of Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1800 with at least three years' regular service and having one year experience as Helper to Halwai-cum-Cook; and
 - (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.
- Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationist will not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
- Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of the applications.
- Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only	
for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.	

[F. No. 02-17/2012-CSZ]

R. DALWANI, Advisor (Conservation and Survey)